न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 14 / 2022

वउनवान

1. प्रकाश पुत्र किशन जाति ब्राहमण निवासी मसारी
2. रामावतार पुत्र किशन जाति ब्राहमण निवासी मसारी

तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थीयान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव कठूमर जिला अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट

उपस्थित

श्री राधाबल्लभ शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता प्रार्थीयान की ओर से

पैरोकार सरकार– अप्रार्थी की ओर से

आदेश दिनांक 23.09.2022

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तूत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सावित आराजी खसरा नम्बर 1265 / 1 रकवा 6 विस्वा 1265 / 2 रकवा 6 विस्वा 1265 / 3 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा कुल रकवा 1 वीघा 15 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1097 रकवा 5 विस्वा 1098 रकवा 3 विस्वा 1099 रकवा 7 विस्वा 1100 रकवा 7 विस्वा 1101 रकवा 12 विस्वा 1104 रकवा 12 विस्वा बने है जो ग्राम मसारी तहसील कठूमर में स्थित है कि जिस खसरा नम्बर 1101 रकवा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

17 विस्वा प्रार्थीयान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उपरोक्त सविक आराजी खसरा नम्बर 1265 रकवा 17 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 1101 रकवा 17 विस्वा जो गलती से राजस्व रेकार्ड में 12 विस्वा दर्ज है प्रार्थीयान के ताउ शोभाराम व पिता किशन की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो फौत हो चुके है शोभाराम की आराजी उसकी पुत्री रामकली से प्रार्थीयान की खरीद शुदा आराजी है तथा प्रार्थीयान किशन के वारिस है इस प्रकार सविक रेवन्यु रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2015–2021 के मुताविक खसरा नम्बर 1101 रकवा 17 विस्वा प्रार्थीयान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है सैटलमेंण्ट कर्मचारियान ने संवत् 2028 में प्रार्थीयान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1101 के रकवा 17 विस्वा के स्थान पर 12 विस्वा की खातेदारी दर्ज कर वो इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में रकवा 17 विस्वा के स्थान पर रकवा 12 विस्वा का नक्शा ट्रेस कायम कर दिया और इस 5 विस्वा के रकवा को खसरा नम्बर 1097 के रकवा 5 विस्वा में 1 विस्वा 1098 के रकवा 3 विस्वा के रकवा में 1 विस्वा खसरा नम्बर 1099 के रकवा 7 विस्वा के रकवा मे 1 विस्वा खसरा नम्बर 1100 रकवा 7 विस्वा के रकवा में 1 विस्वा खसरा नम्बर 1104 रकवा 12 विस्वा के रकवा में 1 विस्वा खातेदारी दर्ज कर वो इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में कुल रकवा 5 विस्वा बढाकर नक्शा ट्रेस कायम कर दिया। सैटलमेंण्ट कर्मचारियान को सविक रेवन्यु रेकार्ड के मुताविक प्रार्थीयान के नाम खसरा नम्बर 1101 रकवा 17 विस्वा की ही खातेदारी के इन्द्राज दर्ज कर नक्शा ट्रेस भी रकवा 12 विस्वा के स्थान पर 17 विस्वा का ही बनाना चाहिए था। जो सैटलमेंण्ट कर्मचारियान की गलती एंव लिपिकीय भूल है जिसे शुद्व व सही करवाने वावत प्रार्थीयान ने अप्रार्थी से कहा तो उसने ऐसा करने से दिनांक 12.06.2022 को साफ इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थीयान ने सविक रेवन्यु रेकार्ड के मुताविक नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी के रकवा को शुद्व व सही कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार ने हाजिर अदालत होकर जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 1101 रकवा 12 विस्वा सविक खसरा नम्बर 1265 रकवा 12 विस्वा से बना है। जमाबन्दी संवत् 2015,

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

2021 में खसरा नम्बर 1265 का रकवा 17 विस्वा प्रार्थीयान के पिता किशन व ताउ शोभाराम की खातेदारी में दर्ज है। साविक खसरा नम्बर 1265 रकवा 17 विस्वा जो किशन व शोभाराम की खातेदारी में दर्ज था उसका रकवा 1 विस्वा खसरा नम्बर 1097 रकवा 1 विस्वा खसरा नम्बर 1098 रकवा 1 पिज्ञपर 1099 रकवा 1 विस्वा खसरा नम्बर 1100 रकवा 1 विस्वा खसरा नम्बर 1104 में सैटलमेंण्ट ने मिला दिया अर्थात प्रार्थीयान की खातेदारी का रकवा 17 विस्वा से कम कर 12 विस्वा खातेदारी में कर दिया और रकवा 5 विस्वा उक्त खसरा नम्बर 1097, 1098, 1099, 1100, 1104 में मिला दिया इसी प्रकार नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 1101 के रकवा 17 विस्वा के स्थान पर 12 विस्वा का बना दिया।

प्रार्थीयानने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2015, नकल जमाबन्दी संवत् 2021 नकल जमाबन्दी संवत्2028 नकल जमाबन्दी संवत् 2033 नकल सैटलमेंण्ट से पूर्व खसरा नम्बर 1264 के नक्शा ट्रेस, नकल नक्शा ट्रेस हाल खसरा नम्बर 1097 ला0 1101, 1104 नकल जमाबन्दी संवत् हाल की सत्य प्रतिलिपी पेश की है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीयान व पैरोकार सरकार की वहस सुनी तथा पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीयान ने अपनी वहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। नकल मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से यह सावित है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1101 रकवा 17 विस्वा जो साविक खसरा नम्बर 1265 रकवा 12 विस्वा हाल मौके पर 17 विस्वा ग्राम मसारी तहसील कठूमर से बना है। नकल जमाबन्दी संवत 2015 के खाता संख्या 15 वो जमाबन्दी संवत् 2021 के खाता संख्या 394 से यह प्रमाणित है कि आराजी खसरा नम्बर सावित 1265 रकवा 17 विस्वा प्रार्थीयान के ताउ शोभाराम व पिता किशन की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जमाबन्दी संवत 2028 मे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 1101 के रकवा 17 विस्वा के स्थान पर सैटलमेंण्ट विभाग ने संवत् 2028 में गलती से 12 विस्वा प्रार्थीयान की खातेदारी में दर्ज किया जाना सावित है। प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत सावित रेकार्ड से यह सही है कि प्रार्थीयान की कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

प्रेतामें

काश्त खातेदारी की आराजी के रकवा 5 विस्वा को सैटलमेंण्ट कर्मचारियों ने खत्म कर इसके 1 विस्वा रकवा को खसरा नम्बर 1099 में 1 विस्वा रकवा को खसरा नम्बर 1097 में 1 विस्वा रकवा को खसरा नम्बर 1098 में 1 विस्वा रकवा को खसरा नम्बर 1099 में 1 विस्वा रकवा को खसरा नम्बर 1100 में 1 विस्वा रकवा को खसरा नम्बर 1104 में मिला कर खातेदारी में दर्ज किया जाना सावित है। हाल राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 1101 प्रार्थीयान की खातेदारी में रकवा 0.15 हे. अर्थात रकवा 12 विस्वा दर्ज है जो प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 से प्रमाणित है। अप्रार्थी की ओर से उपस्थित आये पैरोकार सरकार ने अपने जवाव पेश कर कथन किया कि साविक रेकार्ड में प्रार्थीयान का रकवा 17 विस्वा अंकित है जिसका रकवा 5 विस्वा सैटलमेंण्ट ने गलत खत्म किया है जो पैरोकार का स्वीकारोक्ति कथन है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों पैरोकार के जवाव प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत साविक एंव हाल राजस्व रेकार्ड तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयान व पैरोकार सरकार की वहस पर मनन करने पर प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र सावित है। अतः प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1101 रकवा 12 विस्वा वाके ग्राम मसारी के स्थान पर खसरा नम्बर 1101 रकवा 17 विस्वा हाल राजस्व रेकार्ड में शुद्व करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अतः यह आदेश आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०